केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/265 दिनांक: 27.06.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00262
CICOM/R/2016/00663

अपीलकर्ता : सुश्री रजनी देवी,
C/o श्री श्रीराम निवास,
मो० - आदर्शनगर कालोनी,
गली नं. 1, रोजा जं., जिला - शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 27.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	31.05.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.06.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	144915/15.06.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	363/16.06.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना मांगी है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 11/5/2013-आई.आर. दिनांक 2 सितम्बर, 2013 पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही क्यों नहीं की/कराई है तथा किस तिथि तक अपेक्षित कार्यवाही कर/करा देगी, जिसक प्रतिउत्तर में श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपने प्रतिउत्तर में सचिव कार्यालय से प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.09.2013 को निदेशक (पी) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है तथा दिनांक 23.06.2016 के एक अन्य पत्र द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया है कि चूंकि वर्तमान में निदेशक (पी) का पद केन्द्रीय सूचना आयोग में नहीं है, अत: उक्त कार्य देख रहे अधिकारी द्वारा संदर्भित पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना दी जाएगी । उल्लेखनीय है कि **अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना कि *"अपेक्षित कार्यवाही क्यों नहीं की/कराई गई तथा कार्यवाही कब तक की जाएगी"* दोनों ही सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी जन सूचना अधिकारी द्वारा यथासंभव सूचना उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
30 JUN 2016
Initials.......

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
30 JUN 2016
D No.......